

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।**

पत्रांक: 943 /

जहानाबाद, दिनांक: 30-5-2021 /

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

सेवा में,

श्री श्री उमर (मा) उन्सुख

ग्रामपंच. उमर, कावल

विषय :- ग्रामपंच. उमर, कावल पथ का सतत पंचवर्षीय अनुरक्षण
कार्य करने के संबंध में।

प्रसंग :- एकरारनामा संख्या 14 MB/2016-17

महाशय,

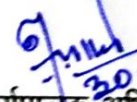
उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि आपको प्रासंगिक एकरारनामा के अनुसार पथ का पंचवर्षीय सतत अनुरक्षण कार्य कराया जाना है परन्तु आपके द्वारा एकरारित पथ का सतत अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है जो स्पष्ट रूप से एकरारनामा का उलंघन है।

अतः निदेश दिया जाता है कि पथ का अनुरक्षण कार्य हर हालत में तीन दिनों के अन्दर कराना सुनिश्चित करें अन्यथा एकरारनामा के सुसंगत कण्डिकाओं के आलोक में आपके एकरारनामा को विखण्डित करते हुए आपके निबंधन को काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा कर विभाग में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज दी जायेगी तथा अनुरक्षण कार्य किसी अन्य माध्यम से करा कर इसकी वसूली आपके जमा राशि से कर ली जायेगी। इस हेतु पूर्ण रूप से आप स्वयं जवाबदेह होंगे।

अनुरक्षण कार्य निर्धारित अवधि में नहीं कराये जाने पर आपके कार्य की अन्तिम मापी दिनांक 04.06.2021 को की जायेगी। मापी के समय आप स्वयं या आपके द्वारा नामित प्रतिनिधि का स्थल पर उपस्थित रहेंगे। आपके अनुपस्थिति की स्थिति में भी कार्य की अन्तिम मापी कर ली जायेगी तथा भविष्य में इस संबंध में आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

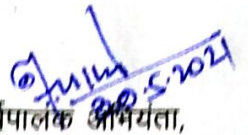

30-5-2021

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

ज्ञापांक 943 /

जहानाबाद, दिनांक ... 30-5-2021 ... /

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
समर्पित।


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, जहानाबाद।